UPMB010020152025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।
सत्र परीक्षण संख्या—536 / 2025
सरकार बनाम रोहित यादव,
धारा 69,352,351(2) बी0एन0एस0
मु0अ0सं0—299 / 2025
थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।

आरोप

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त **रोहित यादव** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँः—

प्रथम— यह कि आप अभियुक्त ने दिनांक 06.04.2025 को समय 8:00 बजे स्थान आलमपुरा बिलबई चुंगी के पास किराये का मकान थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा एवं दिल्ली लाडुसराय में आपने वादिनी मुकदमा / पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक प्रवेशन हमला / बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा—69 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय—यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा / पीडिता को गाली—गलौज कर साशय अपमानित किया है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा—352 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय—यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा / पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास किया है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा—351(2) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 29.11.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांकः 29.11.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010020152025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।

सत्र परीक्षण संख्या–536 / 2025
सरकार बनाम रोहित यादव,
धारा 69,352,351(2) बी0एन0एस0
मु0अ0सं0–299 / 2025
थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त **रोहित यादव** मय विद्वान अधिवक्ता जमानत पर न्यायालय उपस्थित आया।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त **रोहित यादव** के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा– 69,352,351(2) के अन्तर्गत प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 14.01.2026 को पेश हो।

दिनांकः 29.11.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.11.29 16:28:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court